न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. धर्मसिंह पुत्र मूल्या
2. रूमाली पुत्री मूल्या
3. हंसराज पुत्र परत्या

समस्त जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बनेसिंह
2. बाबूलाल
3. मक्खन
4. शिवलाल

पिसरान कंचन

5. मूल्या पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति गुर्जर निवासी बडली तहसील सिकराय जिला दौसा।

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
7. श्री यशवन्त मीना पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बाबत् न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण बनेसिंह आदि बनाम धर्मसिंह आदि मुकदमा नम्बर 36/2023 प्रार्थना पत्र जेर दफा 251क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत्)

उपस्थिति : श्री हेमराज गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

: श्री गुड्डु सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित।

: अप्रार्थी संख्या 2 बाबूलाल पुत्र कंचन स्वयं उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः–20.06.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 110, 228, 232, 241 व 41 कुल किता 5 कुल रकबा 3.79 है. मौजा ग्राम बडली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है, जिसके खातेदार प्रार्थीगण है तथा आराजी खसरा नम्बर 17, 220, 242, 243, 244 व 44 कुल किता 6 कुल रकबा 4.34 है. ग्राम बडली में स्थित है, जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है। भूमि खसरा नम्बर 241 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसके लगते सडक गीजगढ से बडली के लगते खसरा नम्बर 244 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] नम्बर 244 जो कि सड़क गीजगढ से ग्राम बडली को जाने वाले के किनारे किनारे पि[illegible] लगाकर तारबन्दी कर अर्से दराज से चले आ रहे रास्ते [illegible] करने पर आमादा [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर
दौसा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर प्रकरण को गैरकानूनी तरीके से बहस में नियत कर दिया। प्रार्थीगण को उप जिला कलक्टर सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने से उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 244 की आबपाशी पर आने-जाने के लिये धारा 251 क काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ता चाहा गया है, जबकि धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार आबपाशी के लिये रास्ते का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी न्याय प्रक्रिया के विपरीत अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामील जारी किये बिना तलवी के आदेश देने के बावजूद प्रार्थीगण का पक्ष सुने बिना ही एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट बाबत् ले लिया गया, जिस पर किसी अप्रार्थी पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय की बदनीयती प्रारम्भतः ही स्पष्ट है। कानूनन सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रार्थीगण की तलवी जवाब पेश होने के बाद ही मौका रिपोर्ट ली जानी चाहिये थी। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर पूर्व से आज दिन तक कोई रास्ता नहीं रहा है और ना ही कोई पगडंडीनुमा रास्ता रहा है। प्रार्थीगण का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 245 में होकर पूर्व से ही चला आ रहा है, जिसका नियमित रूप से उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 245 में अंकित होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई ना ही खसरा नम्बर 245 के बाबत् कोई रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय से ली गई बल्कि बेजापूर्ण तरीके से कानून के विपरीत दिनांक 20.02.2024 को ही बहस प्रार्थना पत्र 251क हेतु दिनांक 27.02.2024 को तारीख पेशी नियत फरमा दी गई जो न्याय प्रक्रिया के विपरीत है। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र धारा 251क के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया गया है जिसमे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 244 के मध्य से रास्ता दर्शित किया गया है जबकि खसरा नम्बर 244 में किसी प्रकार का रास्ता ही नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 244 के पूर्वी भाग में खसरा नम्बर 245 के सहारे से रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चालू रास्ता भूमि खसरा नम्बर 245 में होना अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन भिन्न-भिन्न रास्ते होना आया है तो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोबारा मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत बहस अन्तिम सुनकर रास्ता खसरा नम्बर 244 में होकर कायम किये जाने पर आमादा है, जबकि नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण नहीं किया गया। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय की बेजा कार्यवाही एवं अप्रार्थीगण द्वारा ऐलानिया अपने पक्ष में फैसले की बातचीत होने की बात कहने से प्रार्थीगण को न्यायिक निर्णय न होने का पूर्ण विश्वास हो जाने पर व्यथित होकर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 36/2023 उनवानी बनेसिंह बनाम धर्मसिंह अन्तर्गत धारा 251क को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु [illegible] सक्षम न्यायालय [illegible] स्थानान्तरित किया जाता है तो भी अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति [illegible] है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्र[illegible] प्रार्थना पत्र में

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उप जिला कलक्टर सिकराय के विरूद्ध लगाये गये आरोप बिल्कुल निराधार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अप्रार्थीगण की जमीन तक आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण की जमीन दो वर्ष से बिना बुआई जुताई के बंजड पडी है। जिससे अप्रार्थीगण का समय भी खराब हो रहा है एवं अप्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी जमीन की बुंआई–जुंताई व आवागमन की समस्या से निजात पाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. टीनेन्सी एक्ट पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

उप जिला कलक्टर सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण में रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली जा चुकी होना एवं प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही होना तथा प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत होना व्यक्त करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज़ फरमाने का निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध उप जिला कलक्टर सिकराय की तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना एवं पक्षकारान की साक्ष्य लिये बगैर ही प्रकरण को बहस में नियत किया जाना अवगत कराया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा यद्यपि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होना व्यक्त किया गया है, किन्तु प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के खण्डन के सम्बन्ध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उप जिला कलक्टर सिकराय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण बनेसिंह आदि बनाम धर्मसिंह आदि मुकदमा नम्बर 36/2023 प्रार्थना पत्र जेर दफा 251क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय से न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिया जाकर एवं विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये फसल की बुंआई के समय को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण का 15 दिवस की अवधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 26.06.2024 से पूर्व उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवाई जावे। उभपक्षकारान प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 दिनांक 26.06.2024 को न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित होवे। न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली दाखिल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में [illegible]या गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official